"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी 2015—फाल्गुन 8, शक 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती मनोरमा ठाकुर जौजे विजय सिंह ठाकुर, उम्र 46 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 53, न्यू आदर्श नगर, दुर्ग, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि मेरे पति के भिलाई इस्पात संयंत्र के सभी अभिलेखों में मेरा नाम श्रीमती मनोरमा सिंह लिखा हुआ है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती मनोरमा ठाकुर रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती मनोरमा ठाकुर जौजे विजय सिंह ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमती मनोरमा सिंह पति-श्री विजय सिंह ठाकुर निवासी-वार्ड नं. 53, न्यू आदर्श नगर, दुर्ग तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	श्रीमती मनोरमा ठाकुर पति-श्री विजय सिंह ठाकुर निवासी-वार्ड नं. 53, न्यू आदर्श नगर, दुर्ग तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, RATAN PARYANI S/o HOONDRAJ PARYANI निवासी-एल आई जी 109-110, कविता नगर, पो.आ. शंकर नगर, वार्ड नं. 28, रायपुर (छ.ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मुझे मेरे घरेलू नाम RATAN KUMAR के नाम से जाना पहचाना जाता था. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम RATAN PARYANI रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे RATAN PARYANI S/o HOONDRAJ PARYANI के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
RATAN KUMAR S/o HOONDRAJ PARYANI Resi.- LIG 109-110, Kavita Nagar P. O.-Shankar Nagar, Ward No. 28, Raipur (C.G.)	RATAN PARYANI S/o HOONDRAJ PARYANI Resi.- LIG 109-110, Kavita Nagar P. O.-Shankar Nagar, Ward No. 28, Raipur (C.G.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती संध्या पाण्डेय ध.प. श्री सुशील कुमार पाण्डेय, उम्र 37 वर्ष, निवासी-एम.आई.जी.-1/219, हुडको भिलाई थाना, सेक्टर-6 भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि मेरे पुत्र अभिषेक पाण्डेय के जन्म प्रमाण पत्र में मेरा नाम त्रुटिवश घरेलू नाम गायत्री पाण्डेय दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम संध्या पाण्डेय रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती संध्या पाण्डेय ध.प. श्री सुशील कुमार पाण्डेय के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
गायत्री पाण्डेय पति-श्री सुशील कुमार पाण्डेय निवासी-एम.आई.जी.-1/219, हुडको भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.)	संध्या पाण्डेय पति-श्री सुशील कुमार पाण्डेय निवासी-एम.आई.जी.-1/219, हुडको भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्वेता सबलानी मिश्रा पति डॉ. अभिषेक मिश्रा, उम्र 31 वर्ष, निवासी-ए-306, हर्ष हैवेन्स, अशोक नगर सरकण्डा, बिलासपुर (छ.ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त अभिलेख एवं शैक्षणिक अंकसूची में मेरा नाम श्वेता सबलानी दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्वेता सबलानी मिश्रा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्वेता सबलानी मिश्रा पति डॉ. अभिषेक मिश्रा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्वेता सबलानी पति-डॉ. अभिषेक मिश्रा निवासी-ए-306, हर्ष हैवेन्स, अशोक नगर, सरकण्डा बिलासपुर (छ.ग.)	श्वेता सबलानी मिश्रा पति-डॉ. अभिषेक मिश्रा निवासी-ए-306, हर्ष हैवेन्स अशोक नगर, सरकण्डा बिलासपुर (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजेश मंगल अग्रवाल पिता स्व. मंगलचंद अग्रवाल, उम्र 43 वर्ष, निवासी-मंगलम् ए-4, सी.के. आवास परिसर, राजस्व कालोनी चौक, सरकण्डा बिलासपुर (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त अभिलेखों एवं शैक्षणिक अंकसूची में मेरा नाम राजेश कुमार अग्रवाल अंकित है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम राजेश मंगल अग्रवाल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे राजेश मंगल अग्रवाल पिता स्व. मंगलचंद अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
राजेश कुमार अग्रवाल पिता-स्व. मंगलचंद अग्रवाल निवासी-मंगलम् ए-4, सी. के. आवास परिसर राजस्व कालोनी चौक, सरकण्डा, बिलासपुर (छ.ग.)	राजेश मंगल अग्रवाल पिता-स्व. मंगलचंद अग्रवाल निवासी-मंगलम् ए-4, सी. के. आवास परिसर राजस्व कालोनी चौक, सरकण्डा, बिलासपुर (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सुनीता देवांगन (SUNEETA DEWANGAN) पति श्री एस. एल. देवांगन (S. L. DEWANGAN) उम्र 54 वर्ष, निवासी-94/सी, बी.एस.पी. कालोनी, रूआबांधा सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सुनीता देवांगन पति शत्रुहन लाल देवांगन दर्ज है तथा मेरे पति के बी.एस.पी. के मेडिकल कार्ड में मेरा नाम सुनीता बाई देवांगन दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम सुनीता देवांगन रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे सुनीता देवांगन पति श्री एस. एल. देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
सुनीता बाई देवांगन (Sunita Bai Dewangan) पति-श्री एस. एल. देवांगन (S. L. Dewangan) निवासी-94/सी, बी.एस.पी. कालोनी, रूआबांधा सेक्टर भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	सुनीता देवांगन (Suneeta Dewangan) पति-श्री एस. एल. देवांगन (S. L. Dewangan) निवासी-94/सी, बी.एस.पी. कालोनी, रूआबांधा सेक्टर भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामभरोस साहू आत्मज गौतरिहा, आयु 45 वर्ष, निवासी-ग्राम धनेली, तहसील पंडरिया, हाल मुकाम-कचहरी पारा, वार्ड नं. 15, कवर्धा, तह. कवर्धा जिला कबीरधाम (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे शासकीय स्थानों के दस्तावेजों में मेरा नाम रामभरोस साहू दर्ज है तथा कुछ स्थानों के दस्तावेजों में मेरा घरेलू नाम बब्लू साहू दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम रामभरोस साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे रामभरोस साहू आ. गौतरिहा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
बब्लू साहू आत्मज-गौतरिहा निवासी-ग्राम धनेली, तहसील-पंडरिया, जिला कबीरधाम (छ.ग.)	रामभरोस साहू आत्मज-गौतरिहा निवासी-ग्राम धनेली, तहसील-पंडरिया, जिला कबीरधाम (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भावेश वाल्दे आत्मज श्री लच्छन राम वाल्दे, उम्र 28 वर्ष, जाति महार, निवासी-द्वारा लवकुमार रामटेके, गली नं. 4, ममतानगर, वार्ड नं. 19, राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे अंकसूची एवं पूर्व के दस्तावेजों में मेरा नाम भागेश्वर राम वाल्दे आ. लच्छन राम वाल्दे दर्ज है परन्तु मेरा वर्तमान परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड एवं सी. ए. इंस्टीट्यूट में मेरा नाम भावेश वाल्दे आ. लच्छन राम वाल्दे दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम भावेश वाल्दे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे भावेश वाल्दे आत्मज श्री लच्छन राम वाल्दे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
भागेश्वर राम वाल्दे आत्मज-श्री लच्छन राम वाल्दे निवासी-द्वारा-लवकुमार रामटेके, ममतानगर गली नं. 4, वार्ड नं. 19, राजनांदगांव (छ.ग.)	भावेश वाल्दे आत्मज-श्री लच्छन राम वाल्दे निवासी-द्वारा-लवकुमार रामटेके, ममतानगर गली नं. 4, वार्ड नं. 19, राजनांदगांव (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, योगराम आत्मज स्व. जिवराखन, उम्र 58 साल, निवासी-नूतन चौक भिलाई-3, तह. पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरी पुत्री कु. दुर्गा का नाम मेरे बी.एस.पी. के सर्विस रिकार्ड में त्रुटिवश खोमेश्वरी दर्ज हो गया है जबकि मेरी पुत्री का सही नाम शालेय रिकार्ड अनुसार कु. दुर्गा है. मैं अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम दुर्गा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को दुर्गा पिता योगराम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
खोमेश्वरी पिता-श्री योगराम निवासी-नूतन चौक भिलाई-3, तह.-पाटन जिला-दुर्ग (छ.ग.)	दुर्गा पिता-श्री योगराम निवासी-नूतन चौक भिलाई-3, तह.-पाटन जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 7 फरवरी 2015

क्रमांक/परि./2015/411.—गौण खनिज सहकारी समिति मर्या. सिलपहरी, पं. क्र. 143 दिनांक 17-07-2003 विकासखण्ड मरवाही जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2014/2041 दिनांक 22-01-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् गौण खनिज सहकारी समिति मर्या. सिलपहरी, पं. क्र. 143 विकासखण्ड मरवाही, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री इरशाद सिद्दकी, उप अंकेक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 7 फरवरी 2015

क्रमांक/परि./2015/412.—अन्नपूर्णा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. बुटेना, पं. क्र. 224 दिनांक 29-05-2007 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2014/2045 दिनांक 15-10-2014 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् अन्नपूर्णा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. बुटेना, पं. क्र. 224 विकासखण्ड तखतपुर, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री इरशाद सिद्दकी, उप अंकेक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 7 फरवरी 2015

क्रमांक/परि./2015/416.—लक्ष्मी महिला साख सहकारी समिति मर्या. राजकिशेरनगर, पं. क्र. 249 दिनांक 25-10-2007 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाने संबंधी छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2015/201 दिनांक 20-01-2015 के द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् लक्ष्मी महिला साख सहकारी समिति मर्या. राजकिशेरनगर, पं. क्र. 249 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री मीनु अग्रवाल, उप अंकेक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

डी. आर. ठाकुर,
उप पंजीयक.

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 19 जनवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/259.—विद्युत उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति मर्या. केसरा, विकासखंड पाटन, जिला दुर्ग, पंजीयन क्रमांक-2084 जिला दुर्ग को छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71(1) के प्रावधान/अनुरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/522 दिनांक 28-03-2014 के द्वारा श्री अभय कापरे, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक श्री अभय कापरे, उप अंकेक्षक जिला दुर्ग द्वारा छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं छत्तीसगढ़ सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अन्तर्गत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे मैं सन्तुष्ट हूं और यह धारणा करती हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं श्रीमती किरण गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ.ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ.ग. सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के अन्तर्गत विद्युत उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति मर्या. केसरा, विकासखण्ड पाटन, जिला दुर्ग, पंजीयन क्रमांक-2084 जिला दुर्ग का पंजीयन निरस्त करती हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-01-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 19 जनवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/260.—नीरा ताड गुड सहकारी समिति मर्या., खर्रा पंजीयन क्रमांक-1963 जिला दुर्ग को छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71(1) के प्रावधान/अनुरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/694 दिनांक 02-06-2014 के द्वारा श्री अभय कापरे, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक श्री अभय कापरे, उप अंकेक्षक जिला दुर्ग द्वारा छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं छत्तीसगढ़ सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अन्तर्गत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे मैं सन्तुष्ट हूं और यह धारणा करती हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं श्रीमती किरण गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ.ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ.ग. सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के अन्तर्गत नीरा ताड गुड सहकारी समिति मर्या. खर्रा, पंजीयन क्रमांक-1963 जिला दुर्ग का पंजीयन निरस्त करती हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-01-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 20 जनवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/271.—विविध धातु निर्माण सहकारी समिति मर्या. पतोरा, पंजीयन क्रमांक-1930 जिला दुर्ग को छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71(1) के प्रावधान/अनुरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2014/692 दुर्ग दिनांक 02-06-2014 के द्वारा श्री गोकुल ताम्रकार, उप अंकेक्षक दुर्ग को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक श्री गोकुल ताम्रकार, उप अंकेक्षक दुर्ग द्वारा छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं छत्तीसगढ़ सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अन्तर्गत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे मैं सन्तुष्ट हूं और यह धारणा करती हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं श्रीमती किरण गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ.ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ.ग. सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के अन्तर्गत विविध धातु निर्माण सहकारी समिति मर्या., पतोरा, पंजीयन क्रमांक-1930 जिला दुर्ग का पंजीयन निरस्त करती हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 20-01-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 20 जनवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/272.—तेलघानी सहकारी समिति मर्या. फेकारी, पंजीयन क्रमांक-1521 जिला दुर्ग को छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71(1) के प्रावधान/अनुरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2014/691 दुर्ग दिनांक 02-06-2014 के द्वारा श्री गोकुल ताम्रकार, उप अंकेक्षक दुर्ग को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक श्री गोकुल ताम्रकार, उप अंकेक्षक दुर्ग द्वारा छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं छत्तीसगढ़ सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अन्तर्गत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे मैं सन्तुष्ट हूं और यह धारणा करती हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं श्रीमती किरण गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ.ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ.ग. सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के अन्तर्गत तेलघानी सहकारी समिति मर्या. फेकारी, पंजीयन क्रमांक-1521 जिला दुर्ग का पंजीयन निरस्त करती हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 20-01-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 20 जनवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/273.—रविन्द्र मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या. पतोरा, पंजीयन क्रमांक-1814 जिला दुर्ग को छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71(1) के प्रावधान/अनुरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2014/690 दुर्ग दिनांक 02-06-2014 के द्वारा श्री गोकुल ताम्रकार, उप अंकेक्षक दुर्ग को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक श्री गोकुल ताम्रकार, उप अंकेक्षक दुर्ग द्वारा छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं छत्तीसगढ़ सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अन्तर्गत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे मैं सन्तुष्ट हूं और यह धारणा करती हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं श्रीमती किरण गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ.ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ.ग. सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के अन्तर्गत रविन्द्र मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या. पतोरा, पंजीयन क्रमांक-1814 जिला दुर्ग का पंजीयन निरस्त करती हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 20-01-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 20 जनवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/274.—चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या. दिधारी, पंजीयन क्रमांक-1733 जिला दुर्ग को छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71(1) के प्रावधान/अनुरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2014/693 दुर्ग दिनांक 02-06-2014 के द्वारा श्री गोकुल ताम्रकार, उप अंकेक्षक दुर्ग को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक श्री गोकुल ताम्रकार, उप अंकेक्षक दुर्ग द्वारा छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं छत्तीसगढ़ सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अन्तर्गत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे मैं सन्तुष्ट हूं और यह धारणा करती हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं श्रीमती किरण गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ.ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ.ग. सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के अन्तर्गत चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या. दिधारी, पंजीयन क्रमांक-1733 जिला दुर्ग का पंजीयन निरस्त करती हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 20-01-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 20 जनवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/276.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. सिरसाकला, पंजीयन क्रमांक-2307 जिला दुर्ग को छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71(1) के प्रावधान/अनुरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2014/739 दुर्ग दिनांक 12-06-2014 के द्वारा श्री अनिन्द्य मुखर्जी, सह. निरीक्षक दुर्ग को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक श्री अनिन्द्य मुखर्जी, सह. निरीक्षक दुर्ग द्वारा छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं छत्तीसगढ़ सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अन्तर्गत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे मैं सन्तुष्ट हूं और यह धारणा करती हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं श्रीमती किरण गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ.ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ.ग. सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. सिरसाकला, पंजीयन क्रमांक-2307 जिला दुर्ग का पंजीयन निरस्त करती हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 20-01-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 20 जनवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/277.—कांती साबुन उद्योग सहकारी समिति मर्या. भरर, पंजीयन क्रमांक-2283 जिला दुर्ग को छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71(1) के प्रावधान/अनुरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2014/688 दुर्ग दिनांक 02-06-2014 के द्वारा श्री अनिश कुमार दीवान, उप अंकेक्षक दुर्ग को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक श्री अनिश कुमार दीवान, उप अंकेक्षक दुर्ग द्वारा छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं छत्तीसगढ़ सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अन्तर्गत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे मैं सन्तुष्ट हूं और यह धारणा करती हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं श्रीमती किरण गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ.ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ.ग. सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के अन्तर्गत कांती साबुन उद्योग सहकारी समिति मर्या. भरर, पंजीयन क्रमांक-2283 जिला दुर्ग का पंजीयन निरस्त करती हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 20-01-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 20 जनवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/278.—प्रगतिशील रेल्वे श्रमिक सहकारी समिति मर्या. चरोदा, पंजीयन क्रमांक-2150 जिला दुर्ग को छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71(1) के प्रावधान/अनुरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2014/687 दुर्ग दिनांक 02-06-2014 के द्वारा श्री अनिश कुमार दीवान, उप अंकेक्षक दुर्ग को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक श्री अनिश कुमार दीवान, उप अंकेक्षक दुर्ग द्वारा छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं छत्तीसगढ़ सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अन्तर्गत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे मैं सन्तुष्ट हूं और यह धारणा करती हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं श्रीमती किरण गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ.ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ.ग. सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के अन्तर्गत प्रगतिशील रेल्वे श्रमिक सहकारी समिति मर्या. चरोदा, पंजीयन क्रमांक-2150 जिला दुर्ग का पंजीयन निरस्त करती हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 20-01-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 20 जनवरी 2015

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2015/279.—जय बजरंग उत्खनन सहकारी समिति मर्या. सोनपुर (पाटन), पंजीयन क्रमांक-2313 जिला दुर्ग को छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71(1) के प्रावधान/अनुरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2014/528 दुर्ग दिनांक 30-03-2014 के द्वारा श्री अनिश कुमार दीवान, उप अंकेक्षक दुर्ग को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक श्री अनिश कुमार दीवान, उप अंकेक्षक दुर्ग द्वारा छ.ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं छत्तीसगढ़ सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अन्तर्गत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे मैं सन्तुष्ट हूं और यह धारणा करती हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं श्रीमती किरण गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग छ.ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ.ग. सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18(1) (2) के अन्तर्गत जय बजरंग उत्खनन सहकारी समित मर्या. सोनपुर (पाटन), पंजीयन क्रमांक-2313 जिला दुर्ग का पंजीयन निरस्त करती हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 20-01-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

किरण गुप्ता,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.